झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0क़र1/पेशा कर/1/2012– 3554 /राँची, दिनांक –14/11/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग में झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (The Jharkhand Tax on Professions, Trades, Calling and Employment Act, 2011) तथा झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना (Online Submission for Application for Registration Scheme) के संबंध में।

महोदय/महोदया,

e-governance प्रकिया के अधीन स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित करने के कम में वाणिज्य–कर विभाग द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा सुसंगत नियमावली के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना (Online Submission of Application for Registration Scheme), केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अधीन e-registration योजना, विभाग द्वारा प्रशासित लघु अधिनियमों– झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड होटल विलास कराधान अधिनियम, 2011 के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना की प्रकिया निम्नवत् विहित की जा चुकी है।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य में अतिरिक्त कर–संसाधन में अभिवृद्धि हेतु अधिसूचना संख्या एल0जी0–19/2011–14 दिनांक 30.01.2012 द्वारा झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (The Jharkhand Tax on Professions, Trades, Calling and Employment Act, 2011) का अधिनियमन किया गया है। साथ ही उक्त अधिनियम को कियान्वित करने हेतु झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 भी अधिसूचित की गयी है।

2. उक्त नियमावली के नियम 3(3)(e) तथा 4(3)(e) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन आयुक्त द्वारा ऑनलाईन निबंधन की प्रकिया विहित की जाती है।झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3) तथा 4(3) के अधीन प्रावधानित आवेदन पत्र JPT 101 तथा JPT 103 में आवेदन के ऑनलाईन समर्पण हेतु नियोक्ताओं/करदाताओं के लिए दो विकल्प हैं :–

(i) **Registration after making profile** – यह प्रकिया ऐसे नियोक्ताओं/करदात्ताओं के लिए उपयुक्त होगी जिन्होनें विभाग द्वारा प्रशासित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 तथा अन्य लघु अधिनियमों के अधीन ऑनलाईन निबंधन प्राप्त किया है। उक्त प्रकिया का **Process-flow** निम्नवत् है:–

- विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.gov.in के "e-Services" List में जाना।
- Minor Act के Link को Click करना।
- करदाता द्वारा Profile बनाना— Profile के अधीन नाम, पता, ईमेल, मोबाईल संख्या, अंचल का नाम तथा Act Type का भरना।
- सॉफ्टवेयर द्वारा करदाता के ईमेल पर Password तथा मोबाईल पर Secret Code का प्रेषण।
- करदाता द्वारा प्राप्त Password की सहायता से Login करना।
- Login के उपरांत प्राप्त Secret Code को Type करने पर संबंधित आवेदन पत्र JPT 101/ JPT103 खुलना।
- सुसंगत आवेदन पत्रों को भरना।
- अंत में Submit Button को Click कर Online Submission की कार्रवाई पूरा करना।

(ii) Instant Registration - यह प्रकिया ऐसे नियोक्ताओं / करदात्ताओं हेतु लाभदायक होगी जिन्हें ऑनलाईन निबंधन प्राप्त करने का पूर्व अनुभव नही हो। उक्त Instant निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रकिया का **Process-flow** निम्नवत् है:—

- विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.gov.in के "e-Services" List में जाना।
- JPT Instant Registration link को click करना।
- संबंधित आवेदन पत्र JPT 101/ JPT103 का Format सामने आना।
- सुसंगत आवेदन पत्रों को भरना।
- अंत में Submit Button को Click कर Online Submission की कार्रवाई पूरा करना।

इस प्रकार विभागीय साफ्टवेयर में दोनों प्रकार के नियोक्ताओं / करदाताओं को ध्यान में रखते हुये ऑनलाईन निबंधन प्रकिया बनायी गयी है।

3. संबंधित अंचल प्रभारी के **Menu** में उक्त ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के बाद **System** व्यवसायी द्वारा **Uploaded Pan Verification** का सत्यापन आयकर विभाग के डाटावेस से करेगा। अंचल प्रभारी के संतुष्ट होने के उपरांत संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र (**JPT102/JPT104**) के निर्गमन हेतु "**Command**" दिया जाएगा। **System** द्वारा आवेदक के मोबाईल पर SMS द्वारा संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र (**JPT102/JPT104**) का प्रिंट निकालने की सूचना दी जाएगी।

आवेदन प्रपत्र (JPT101) के लिए निर्गत निबंधन प्रमाण—पत्र (JPT 102) के अधीन 13 अंकों का निबंधन प्रमाण—पत्र संख्या दिया जाएगा। उक्त संख्या में प्रथम दो अंक राज्य कोड (State Code) (20), तृतीय—चतुर्थ अंक (Computer Generated Code), पंचम—षष्ठ कोड, अंचल कोड (Circle Code), सप्तम एवं अष्टम कोड (Act Code- 28), तथा शेष पाँच अंक, निबंधन कोड (Registration Code) होंगे।

आवेदन प्रपत्र (JPT 103) के लिए निर्गत निबंधन प्रमाण—पत्र (JPT 104) के अधीन 15 अंकों का निबंधन प्रमाण—पत्र संख्या दिया जाएगा। उक्त संख्या में प्रथम दो अंक राज्य कोड (State Code) (20), तृतीय—चतुर्थ अंक (Computer Generated Code), पंचम—षष्ठ कोड, अंचल कोड (Circle Code), सप्तम एवं अष्टम कोड (Act Code- 28), तथा शेष सात अंक, निबंधन कोड (Registration Code) होंगे।

वाणिज्य–कर विभाग में झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (The Jharkhand Tax on Professions, Trades, Calling and Employment Act, 2011) तथा सुसंगत नियमावली के अधीन नियोक्ता/करदाता द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत पन्द्रह दिनों के अन्दर निबंधन प्रमाण पत्र (JPT 102/JPT104) निर्गत करना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

10.11.12

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।